HARYANA STATE CHILD PROTECTION SOCIETY WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT Bays No. 15-20, Pocket-II, Sector-4, Panchkula Phone No. 0172-2560349 ADVERTISEMENT

Applications are invited to fill up posts of Chairperson/Member, Child Welfare Committee (CWC) in accordance to provisions under Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Amendment Act, 2021 and Invented to provisions under Juvenile Justice (Care & Protection of Children) 2021 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Amendment Rules, 2022 as per following Obelians in Section 2015 following Qualification, Experience terms and conditions:-

| Sr. No. | District | Name / No. of the post Chairperson Child Welfare Committee – 01Post |
|---------|----------|--|
| 1. | Ambala | Member Child Wellar |
| | | (Reserved for female) Committee- 01 Post |
| 2. | Bhiwani | and a short (hill) Welland |
| 3. | Gurugram | (Reserved for lettiale) |
| 1. | Hisar | - hor (hill W Cittle |
| 5. | Rohtak | (01 Reserved for tental) |
| 6. | Sonepat | Chairperson Child Welfare Committee- 01 Post Member Child Welfare Committee- 01 Post (Reserved for female) |

Qualification of Chairperson/Member CWC:

Candidate must have a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human health or education or human development or special education for differently abled children and has been actively involved in health, education or welfare activities pertaining to children for seven years or is a practicing professional with a degree in child psychology or psychiatry or law or social work or sociology or human health or education or human development or special education for differently abled children.

Age Criteria:

35-65 years

Tenure:

Three years.

Honorarium:

Chairperson/Member, Child Welfare Committee shall be paid as per sitting which shall include sitting allowance, travel allowance and any other allowance, as the State Government may prescribe.

Terms & Conditions:

- 1. Applicant must have a domicile of Haryana.
- 2. Applicant will maintain his/her headquarter as the presence is required even at odd hours or on short notice and the appointment will be cancelled if headquarter is not maintained.
- 3. Applicant shall have to submit a self-declaration/affidavit on the following points with application form: -

FORM 49

[RULE 15 (4A)]

Affidavit By The Person Applying For Chairperson or Member Child Welfare Committee.

- I.....applying for the position of Chairperson/Member of Child Welfare,hereby certify that I am not barred by any of the conditions laid down in Section 27(4A) of the Act, i.e.,
 - I do not have any past record of violation of human rights or child rights.
 - I have not been convicted of an offence involving moral turpitude, and such conviction (ii) has not been reversed or has not been granted full pardon in respect of such offence,

- I have not been removed or dismissed from service of the Government of India or State (iii) Government or an undertaking or corporation owned or controlled by the Government of India or State Government.
- I have never indulged in child abuse or employment of child labour or immoral act or any other violation of human rights or immoral acts, or
- I am not part of management of a child care institution in a District;
- If found otherwise by the State Government, I shall be liable for punitive action. 2.
- Applicant may send / submit their application form on the prescribed format on or before 27:12:27. till 5.00 P.M. along-with supporting documents i.e. educational qualification 3. and experience certificate etc. in the office of concerned District Programme Officer, Women and Child Development of respective district.
- Direct application received at Headquarter of WCD, will be rejected.
- Department reserves the right to reject the incomplete application form without any prior notice 4. 5.
- Incomplete application form in any manner will be rejected. 6.
- Prescribed application Performa may be downloaded from the departmental website 7. www.wcdhry.gov.in.

Note: Those applicants who have already applied in the above mentioned date 17.10.2023 advertisement need not to apply for the same.

> Member Secretary Haryana State Child Protection Society Women and Child Development Department Haryana, Panchkula

हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति महिला एवं बाल विकास विभाग बेज संख्या 15-20, पॉकेट-।।, सैक्टर-4, पंचकूला दूरभाष सं. 0172-2580349

निम्नलिखित योग्यता, नियम एवं शर्तो के अनुसार जुवेनाईल जस्टिस (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2021, जुवेनियल जस्टिस मॉडल संशोधित नियम, 2022 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के पद भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:--

| Sr. No. | District | Name / No. of the post |
|---------|---------------------|--|
| 1. | Ambala | Chairperson Child Welfare Committee – 01Post Member Child Welfare Committee- 01 Posts (Reserved for female) Member Child Welfare Committee- 01 Post Member Child Welfare Committee- 01 Posts |
| 2. | Bhiwani Gurugram | |
| 4. | Hisar | (Reserved for female) Chairperson Child Welfare Committee – 01Post Member Child Welfare Committee - 02 posts |
| 5. | Rohtak | (01 Reserved for Terraic) Committee ~ 01Post |
| 6. | Sonepat | Chairperson Child Welfare Committee- 01 Post Member Child Welfare Committee- 01 Post (Reserved for female) |

सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष / सदस्य की योग्यताः

उम्मीदवार के पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होगी और जिनके पास बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष का अनुभव हो या जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में व्यवसायिक वृत्तिक डिग्री हो ।

सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष / सदस्य की आयुः

अध्यक्ष और सदस्यों की आयु 35–65 वर्ष की होनी चाहिए।

अवधिः


3 वर्ष

मानदेय:

अध्यक्ष और सदस्य, बाल कल्याण समिति और सदस्य जुवेनियल जस्टिस बोर्ड को बैठक अनुसार भुगतान किया जाएगा जिसमें बैठक भत्ता या यात्रा भत्ता और कोई अन्य भत्ता शामिल है जो राज्य सरकार निर्धारित करती है ।

नियम एवं शर्तैः

- आवेदक हरियाणा का अधिवासी हो ।
- आवेदक अपने मुख्यालय का संधारण करेगा क्योंकि विषम घंटों या अल्प सूचना पर भी उपस्थिति आवश्यक है और यदि मुख्यालय का संधारण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति रदद कर दी जायेगी ।
- आवेदक आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर एक स्वयं घोषणा / शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा । निम्नलिखित बिन्दुओं की (i) से (vi) तक सभी शर्ते पूरी करता हो ।



फॉर्म 49

[नियम 15 (4ए)]

अध्यक्ष या सदस्य बाल कल्याण समिति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र। 1. मैं......बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ......, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं धारा 27 में निर्धारित किसी भी शर्त से बाधित नहीं हूँ अधिनियम का (4क), अर्थात,

- (i) मेरा मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है।
- (ii) मुझे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराधों के मामले में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है।
- (iii) मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटाया या बर्खास्त नहीं किया गया है।
- (iv) मैं कभी भी बाल शोषण या बाल श्रम के रोजगार या अनैतिक कार्य या मानव अधिकारों के किसी अन्य उल्लंघन या अनैतिक कार्यों में शामिल नहीं रहा हूँ, या
- (v) मैं किसी जिले में बाल देखभाल संस्थान के प्रबंधन का हिस्सा नहीं हूं।
- 2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है, तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।
- 3. आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर 27.12-4 शाम 5.00 बजे तक भेज/जमा कर सकते हैं। संबंधित जिले के संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में सहायक दस्तावेजों यानी शैक्षिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र आदि के साथ।
- 4. डब्ल्यूसीडी के मुख्यालय में प्राप्त सीधे आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।
- 5. इच्छुक उम्मीदवार संबंधित जिले के संबंधित जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में अपेक्षित / सहायक दस्तावेज जैसे कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र आदि के साथ 21:12:24 को सांय 05:00 बजे तक या पूर्व निर्दिष्ट प्रपत्र पर अपने आवेदन प्रपत्र भेजे / प्रस्तुत करेंगे ।
 - 6. डब्ल्यूसीडी मुख्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन रद्द कर दिये जाएंगे ।

- 7. विभाग के पास उम्मीदवार को बिना किसी पूर्व सूचना के अपूर्ण आवेदन फार्म को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 8. निर्धारित आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <u>www.wedhry.gov.in</u> से डाउनलोड कर सकते हैं ।
- नोट:- जिन आवेदकों ने उपरोक्त विज्ञापन दिनांक 17.10.2023 के तहत पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

सदस्य सचिव हरियाणा राज्य बाल संरक्षण समिति महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, पंचकूला